अध्याय - १४

वानिकी शिक्षा

वन उत्पादों के लिए निरन्तर बढ़ती हुई माँग, उत्पादकता की वृद्धि तथा उपलब्ध वन संसाधनों के अधिक सक्षम उपयोग ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया हैं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विद्यमान प्रबन्धन पद्धतियों में सुधार तथा नई प्रौद्योगिकियां एवं दक्षता हासिल करना अनिवार्य हो गया है। अत: वैज्ञानिक वानिकी की प्रगति के लिए वानिकी शिक्षा के पहलू प्रमुख हैं। वानिकी शिक्षा को नवीनतम अनुसंधान परिणामों एवं प्रौद्योगिकियों को समाविष्ट करके, अधिक लाभदायक एवं प्रासंगिक बनाने की दृष्टि से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को दिसम्बर, १९९१ में सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। वानिकी शिक्षा के समन्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण के लिए, भा.वा.अ. शि.प. में १९९३ में एक पूर्ण शिक्षा निदेशालय सृजित किया गया। निदेशालय के मुख्य कार्यकलाप निम्न हैं :

१. व०अ०सं० - सम विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण, जो वर्तमान में वानिकी (अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन) तथा काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; रोपण प्रौद्योगिकी तथा लुगदी एवं कागज प्रौद्योगिकी में में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा वानिकी के विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टरल कार्यक्रमों को चला रहा है।

२. प्रशिक्षित मानव संसाधन के सृजन के लिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

३. वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को सहायता देना।

४. शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर परामर्श देना।

५. व्यावसायिक दक्षता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।

६. विश्वविद्यालयों/स्कूलों में वानिकी शिक्षा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण एवं विकास करना।

७. औपचारिक शैक्षिक माध्यम से वानिकी पाठ्यक्रम को मान्यता देना जिससे वानिकी में डिग्री प्रदान की जा सके।

८. अनुसंधान शिक्षावृत्तियां देना।

९. मानव संसाधन एवं विकास कार्यकलापों आदि का आयोजन करना।

वर्ष १९९६-९६ के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

१. डाक्टरल एवं पोस्ट-डाक्टरल कार्यक्रम

वन अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय, भा.वा.अ.शि.परि. के अधीन विभिन्न संस्थानों में वानिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों में डॉक्टरल तथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों में, सक्रिय रूप से जुटा है। परिषद् अभ्यार्थियों के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराकर इन कार्यक्रमों को धन उपलब्ध करा रही है। वर्ष १९९६-९६ के दौरान, वानिकी एवं सम्बद्ध विज्ञानों में ग्यारह अभ्यार्थियों को पी.एच.डी. डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किया गया। सात अभ्यार्थियों को डॉक्टरेट डिग्री प्रदान की गई।

२. अनुसंधान शिक्षावृत्तियां

वर्ष १९९६-९७ के दौरान भा.वा.अ.शि.परि. के अधीन विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अनुसंधान अध्येताओं/सहअनुसंधानकर्ताओं की कुल संख्या इस प्रकार थी:

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता	:	६६
वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता	:	१७
सहअनुसंधानकर्ता/पोस्ट-डाक्टरल अध्येता	:	२३

अनुसंधान अध्येता तथा एसोसिएट्स वानिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं तथा वानिकी सेक्टरों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए भावी कार्य बल बनाने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

३. स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम

व०अ०सं० सम विश्वविद्यालय इस समय निम्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा है:

(क) एक साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

१. रोपण प्रौद्योगिकी

२. लुगदी एवं कागज प्रौद्योगिकी

(ख) दो साल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

१. विज्ञान निष्णात वानिकी (अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन)

२. विज्ञान निष्णात काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्तमान सत्र (१९९६-९६) में छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

रोपण प्रौद्योगिकी	:	१७
लुगदी एवं कागज प्रौद्योगिकी	:	१५
विज्ञान निष्णात (वानिकी)	:	१४
विज्ञान निष्णात काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	:	१४

यह उल्लिखित किया जा सकता है कि अब तक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास सभी छात्र निजी/सरकारी सेक्टरों में समायोजित हो चुके हैं तथा वन आधारित उद्योगों एवं वृक्ष उत्पादकों के लिए उत्कृष्ट कार्यबल सिद्ध हुए हैं।

वर्ष १९९५-९६ के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इस प्रकार थी:

रोपण प्रौद्योगिकी : १२

लुगदी एवं कागज प्रौद्योगिकी : १२

४. विदेश प्रशिक्षण

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के वनविदों/वैज्ञानिकों को नवीनतम प्रशिक्षण एवं शैक्षिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, बैठकों/सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं हेतु, विदेश जाने की व्यवस्था की गई अनेक देशों में अध्ययन दौरे किए गए ताकि नवीनतम विकास एवं अनुसंधान तथा शैक्षिक रणनीतियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। विभिन्न वानिकी अनुसंधान एवं शैक्षिक सहायता कार्यक्रमों के तहत विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ब्रिटिश काउन्सिल, आई.डी.आर.सी., एफ. ए.ओ., आई.एन.बी.ए.आर, यू.एस.डी.ए. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

खोज प्रबन्ध	१९९४-९५	१९९५-९६	१९९६-९७	१९९७-९८
- अध्ययन दौरे	६	२३	२२	६ : नामांकन
- ३ महीने	६६	५०	५०	२१ : पूर्ण किया
- ९-१२ महीने	३	४	३	८
खोज का उपयोग				
- अध्ययन दौरे	९	२२	४	-
- ३ महीने	६३	३७	११	-
- १२ महीने	३	४	२	-

५. राष्ट्रीय प्रशिक्षण

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अधीन संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों/वनविदों के लिए, अनुसंधान प्रबन्धन में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक एस. डी. स्तर तक लगभग सभी वैज्ञानिकों/वनविदों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के दौरान, १०१ वैज्ञानिकों/वनविदों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। अब तक १४३ कार्मिकों ने अनुसंधान प्रबन्धन में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

६. विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता

वानिकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए निम्न विश्वविद्यालयों को ९०.७५ लाख रूपये तक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी गई।

१. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

२. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

३. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

४. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

५. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

६. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन

७. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

७. पाठ्यक्रम एवं सिलेबस विकास

विज्ञान निष्णात (एम.एस.सी) वानिकी डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के सिलेबस में एकरूपता तथा स्तर (नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप) बनाए रखने के दृष्टिकोण से वानिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम पुनरीक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम विकसित किए गए। पाठ्यक्रम पुनरीक्षण अध्ययनों के लिए इस तरह के तीन विश्वविद्यालयों की पहचान की गई, वे हैं - (१) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (२) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची और (३) वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन। पाठ्यक्रम पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

८. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं परामर्शी सेवाएं

उत्तर प्रदेश वन विभाग कार्मिकों के लिए, सहायता-प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन पर परामर्श के रूप में, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों में १७१ अधिकारियों (मुख्य वन संरक्षक से लेकर रेन्जरों तक) ने भाग लिया।

९. मानव संसाधन विकास योजना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के लिए, मानव संसाधन विकास योजना के विषय में विभिन्न मुद्दों से संबंधित विचारणीय विषय तैयार किए गए तथा इस संबंध में एक विस्तृत एप्रोच पेपर का संश्लेषण किया जा रहा है।